

वन एवं वन्य प्राणी विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय:- प्र0मु0व0सं0 एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा

वन भवन सी-18, सेक्टर-6, पंचकूला-134109 फोन/फैक्स नं. 0172-2561224, 2583682 pccfwlhry@gmail.com

क्रमांक :- 2531
सेवा में,

दिनांक:- 26.11.2024

M/s Hemis Infrastructure and Developers,
723-B, Sushant Lok-1,
Gurugram-122009.

विषय: Grant of wildlife NOC and approval of Conservation Plan for Affordable Plotted Colony (under DDJY-2016) in total land measuring 5.15 Acre, Rect. No. 168 Killa No. 10/2 (0-7), 11 min (4-1), 20 (8-0), Rect. No. 169 Killa No. 6/2 (1-16), 15 (7-12), 16 (8-0), 17 (4-0), 24/1 (3-8), 25/1 (4-0) Total 41 Kanal 4 Marla in the revenue estate of village-Sultanpur, Sector-1, Tehsil-Farrukhnagar, District-Gurugram by M/s Hemis Infrastructure and Developers Pvt. Ltd.

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरुग्राम का पत्र क्रमांक 600 दिनांक 03.09.2024 व मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, गुरुग्राम का पत्र क्रमांक 839 दिनांक 23.10.2024।

ऊपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के जोनल मास्टर प्लान की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 18.06.2021 में किये गये प्रावधानों व मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरुग्राम की रिपोर्ट के मददेनजर M/s Hemis Infrastructure and Developers Pvt. Ltd. को Affordable Plotted Colony (under DDJY-2016) in total land measuring 5.15 Acre, Rect. No. 168 Killa No. 10/2 (0-7), 11 min (4-1), 20 (8-0), Rect. No. 169 Killa No. 6/2 (1-16), 15 (7-12), 16 (8-0), 17 (4-0), 24/1 (3-8), 25/1 (4-0) Total 41 Kanal 4 Marla in the revenue estate of village-Sultanpur, Sector-1, Tehsil-Farrukhnagar, District-Gurugram हेतु अनापत्ति पत्र व कन्जरवेशन केवल वन्य जीवन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1. प्रयोक्ता एजेंसी वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की उल्लंघना नहीं करेगी। किसी भी प्रकार की उल्लंघना की स्थिति में उचित कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
2. सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के जोनल मास्टर प्लान की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 18.06.2021 में किये गये प्रावधानों अनुसार अन्य विभागों से NoC/approval लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
3. भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

W/S

4. विभाग की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान व फर्म का नाम ना बदला जाये।
 5. वन्य प्राणियों की Habitat Improvement हेतु Schedule-I & II species हेतु 75.34 लाख रुपये का Demand Draft मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, गुरुग्राम के पास प्राप्त हो गया है।
 6. Garbage disposal का निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।
 7. अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
 8. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
 9. निर्माण कार्य करवाते समय अधिक शोर करने वाले उपकरणों का प्रयोग न किया जाये।
 10. लाईट रिफ्लेक्टर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की ओर न लगाया जाये।
 11. विभाग इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि ऊपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है।
- स्पष्ट किया जाता है कि यह अनापत्ति पत्र केवल वन्य जीवन से सम्बन्धित है।

Wes

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन,
हरियाणा, पंचकूला।

पृ० क्रमांक:- 2532-2534

दिनांक:- 26.11.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को:-

1. उपायुक्त, गुरुग्राम एवं अध्यक्ष जिला निगरानी समिति, पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम।
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरुग्राम का पत्र क्रमांक 600 दिनांक 03.09.2024 के संदर्भ में।
3. मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, गुरुग्राम को उनके पत्र क्रमांक 839 दिनांक 23.10.2024 के संदर्भ में

सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Wes

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन,
हरियाणा, पंचकूला।